



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

151-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 24, 2023 (BHADRA 2, 1945 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 24th August, 2023

No. 14-HLA of 2023/154/13841.— The Haryana Juvenile Smoking Repeal Bill, 2023 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 14-HLA of 2023

THE HARYANA JUVENILE SMOKING REPEAL BILL, 2023

A

BILL

to repeal the Haryana Juvenile Smoking Act, 1918.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Juvenile Smoking Repeal Act, 2023.
2. The Haryana Juvenile Smoking Act, 1918 is hereby repealed.

Short title.

Repeal of Punjab Act 7 of 1918.

3. The repeal by this Act shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

Savings.

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from the Act hereby repealed;

nor shall the repeal of the Act revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas, the all provisions of the Haryana Juvenile Smoking Act, 1918 (Punjab Act No. 7 of 1918) are duly covered under the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (Central Act No 34 of 2003) which extends to the whole of India, so, there is no need to retain the Haryana Juvenile Smoking Act, 1918 (Punjab Act No. 7 of 1918) in the State anymore.

Therefore, the Haryana Juvenile Smoking Repeal Bill, 2023 relates to repealing of the Haryana Juvenile Smoking Act, 1918 (Punjab Act No. 7 of 1918) as the same is liable to be repealed in view of the aforesaid Central Act, 2003. Hence, the Bill.

ANIL VIJ,
Home Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 24th August, 2023.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2023 का विधेयक संख्या 14-एच०एल०ए०

हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023
हरियाणा किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918
को निरसित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। 1918 के पंजाब अधिनियम 7 का निरसन।
3. इस अधिनियम द्वारा निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई हैं; व्यावृत्ति।
और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों, या पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की अथवा से किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;
न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रुढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि यह क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, में या से किसी भी रीति में अभिपुष्ट किया गया हो या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुआ हो;
न ही इस अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रुढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामलें या बात को पुनरुजीवित या प्रत्यावर्तित करेगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि, हरियाणा किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम संख्या 7) के प्रावधान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति के विनियमन और वितरण) अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 34), जो कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हैं, के अधीन आते हैं। इसलिए, हरियाणा किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918 को अब राज्य में लागू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, उपरोक्त केन्द्रीय अधिनियम, 2003 के मध्यनजर, हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023, जो कि हरियाणा किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम संख्या 7) को निरसित करने से सम्बन्धित है, को इस विधेयक द्वारा निरसित किया जाता है। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

अनिल विज,
गृह मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 24 अगस्त, 2023.

आर० के० नांदल,
सचिव।